भारत सरकार / Government of India
रेल मंत्रालय / Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड / Railway Board)

No. 2020/AC-II/21/3

New Delhi, dated 04.07.2021

The CMDs/MDs,
All PSBs

Sub: 'ALERT' regarding recent Cyber Crime - Online updation of Digital Life Certificate (Jeevan Pramaan Patr)

Cyber Crime Cell, Hazaratganj, Police Commissionrate, Lucknow has issued an 'ALERT' to all pensioners regarding the calls made by fraudsters to the pensioners under the pretext of Online updation of Digital Life Certificate (Jeevan Pramaan Patr). The following is the Modus Operandi:

The fraudsters first collect all information about the pensioners viz. Date of Appointment, Date of Retirement, PPO number, Aadhar Card Number, Permanent Address, email-ID, Amount of Settlement dues received by them at the time of retirement, Monthly Pension, Nominee etc. Then, they make phone calls to the pensioners and gain the trust of the pensioners by telling the above personal details . They, then, encourage the pensioners to obtain and share OTP for Online Updation of DLC. The fraudsters transfer the amounts lying at the credit of the pensioners Account to their fake Bank Accounts or "Wallet" by using this OTP.

It is, therefore, requested to send alert message to all Pensioners drawing pension through your bank to be cautious of such fraudulent calls clarifying that Pension Disbursing Authorities never make calls the pensioners nor request them to share OTP for Online updation of DLC. It is the responsibility of all pensioners that they personally present themselves in the office of the Pension Disbursing Authority for this purpose. Suitable notices may also be prominently in branches so that the Pensioners do not become victims of such frauds.

DA:As above

(Sanjeev Sharma)
OSD/Accounts
Railway Board

Copy to : PCPOs/PFAs of all Zonal Railways and Production Units for information and n.a.

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

सं.2020/एसी-II/21/3 नई दिल्ली, दिनांक: 04.07.2021

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक,
सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक।

विषय: साइबर अपराधों के संबंध में "अलर्ट" - डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र को ऑनलाइन अपडेट करना।

साइबर अपराध सेल, हजरतगंग, पुलिस कमीशनरेट, लखनऊ ने डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र को ऑनलाइन अपडेट करने के बहाने पेंशनभोगियों को जालसाजों द्वारा फोन करने के संबंध में सभी पेंशनभोगियों को 'अलर्ट' जारी किया है। इसकी कार्य-प्रणाली निम्नानुसार है:

जालसाज सबसे पहले पेंशनभोगियों के बारे में सभी जानकारियां जुटाते हैं जैसे नियुक्ति की तारीख, सेवानिवृत्ति की तारीख, पीपीओ नंबर, आधार कार्ड नंबर, स्थायी पता, ई-मेल पता, सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त की गई पावने की राशि, मासिक पेंशन, नामिति आदि। इसके बाद वे पेंशनभोगियों को फोन करते हैं और उन्हें उक्त निजी जानकारी के जरिए पेंशनभोगियों का विश्वास प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात, डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र को ऑनलाइन अपडेट करने के लिए ओटीपी प्राप्त करने और इसे साझा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जालसाज ओटीपी का उपयोग करके पेंशनभोगियों के खाते की जमा राशि को अपने जाली बैंक खाते या "वॉलेट" में अंतरित कर लेते हैं।

अत:, अनुरोध है कि आपके बैंक से पेंशन लेने वाले सभी पेंशनभोगियों को ऐसे जालसाजों के फोन करने के बारे में सचेत रहने के लिए अलर्ट संदेश भेजा जाए जिसमें यह स्पष्ट किया जाए कि पेंशन संवितरक प्राधिकारी डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र को ऑनलाइन अपडेट करने के लिए पेंशनभोगियों को न तो फोन करते हैं और न ही ओटीपी साझा करने के लिए कहते हैं। सभी पेंशनभोगियों का दायित्व है कि डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र को अपडेट करने के लिए स्वयं पेंशन संवितरण प्राधिकारी के कार्यालय जाएं। बैंक की शाखाओं में उचित नोटिस लगाए जाएं ताकि पेंशनभोगी ऐसे जालसाजों से बच कर रहें।

संलग्नक: यथोक्त

(संजीव शर्मा)
विशेष कार्य अधिकारी/लेखा
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु: प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी/प्रधान वित्त सलाहकार, सभी क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां।

CYBER CRIME CELL HAZARATGANJ

POLICE COMMISSIONRATE LUCKNOW

"पेंशन धारकों के लिए अलर्ट"

"साइबर आपराधियों का पेंशन धारकों को ठगने का नया तरीका"

आजकल साइबर आपराधियों द्वारा पेंशन धारकों को "जीवन प्रमाण पत्र" ऑनलाइन अपडेट करने के लिए कॉल किया जा रहा है, उनके पास पेंशन धारकों का पूरा डेटा जैसे नियुक्ति का दिनांक, सेवानिवृत्ति का दिनांक, पीपीओ नंबर (पेंशनभोगी भुगतान आदेश संख्या), आधार कार्ड संख्या, स्थायी पता, ईमेल आईडी, सेवानिवृत्ति पर प्राप्त राशि, मासिक पेंशन, नॉमिनी आदि की जानकारी होती है। वे उन्हें इस पूरे डेटा के साथ कॉल करते हैं, ताकि पेंशन धारक को यह विश्वास दिलाया जा सके कि वे पेंशन निदेशालय से हैं। वे पेंशन धारकों का पूरा डेटा बताते हुये उनका जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करने हेतु ओटीपी साझा करने के लिए कहते हैं। एक बार जब पेंशन धारक फोन पर आये हुये ओटीपी को साझा कर देते हैं तो, जालसाजों को पेंशन धारक के बैंक खाते का डायरेक्ट एक्सेस कन्ट्रोल मिल जाता है। तत्पश्चात वे पेंशन धारक के खाते में जमा समस्त राशि को तुरन्त दुसरे 'फर्जी बैंक खातों' या 'वॉलेट' में स्थानांतरित कर देते हैं।

इसलिए जागरूक रहें, 'पेंशन निदेशालय' कभी भी किसी पेंशन धारक को उनका 'जीवन प्रमाण पत्र' ऑनलाइन अपडेट करने के लिए कॉल नहीं करता है और न ही ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करता है । यह पेंशन धारकों का कर्तव्य है कि वे अपने जीवन प्रमाण पत्र को व्यक्तिगत रूप से पेंशन निदेशालय में जाकर अपडेट करायें । इस तरह आने वाली फर्जी कॉलो से बचे व साइबर क्राइम सेल हजरतगंज लखनऊ को सूचित करें ।

कृपया यह जानकारी पेंशन धारकों को जागरूक करने के लिए साझा करें।